न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2019 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2019/00025

अनवान

1. श्री घनश्याम सिंह पिता सोहनसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री योगेन्द्र सिंह पिता भगवतसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री बहादुर सिंह पिता मानसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री विजय सिंह पिता माधुसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री शम्भुसिंह पिता मानसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री चतर सिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री कालुसिंह पिता सज्जन सिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री भगवत सिंह पिता देवी सिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री पर्वत सिंह पिता हडमतसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्री अम्बालाल पिता खेमाजी कालबेलिया, निवासी करावली, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री रमेश लाल पिता भंवर कालबेलिया, निवासी करावली, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री परवत सिंह पिता डुंगरसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री लोकेश गहलोत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री आलोक जैन, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.27 12:03:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

*** *निर्णय* ***

दिनांक 24-11-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम जाम्बुड़ा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर मे साबिक आराजी संख्या 83, जिसके हाल नम्बर 415 रकबा 0.4200 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 416 रकबा 0.7200 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षी संख्या 1 वक्त आवंटन राजकीय अध्यापक होकर पटवार क्षेत्र करावली मे ही पदस्थापित था। विपक्षी संख्या 1 ने आवंटन नियमों के विपरित अन्य खातेदारी भूमि होने के तथ्यों को छुपाते हुए एवं स्वयं को भूमिहीन काश्तकार बताते हुए साबिक आराजी संख्या 81, 83 एवं 84 के रकबे को अपने नाम पर आवंटित कराने का प्रस्ताव एड़वाईजरी कमेटी के समक्ष रखा। आवेदन पत्र मे विपक्षी संख्या 1 ने अपने स्वयं के खातेदारी की आराजी संख्या 77, 88, 89, 95 एवं 96 का हवाला स्पष्ट रूप से दे रखा है एवं साथ मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है, जिसमे भी उसके द्वारा स्वयं को राजकीय अध्यापक होना अंकित कर रखा हैं। उक्त समस्त जानकारी आवेदन पत्र मे होने के बावजूद एडवाईजरी कमेटी ने न तो विपक्षी संख्या 1 का आवेदन अपात्रता के आधार पर खारिज किया और न ही उद्घोषणा जारी की। दिनांक 07.01.1977 को आराजी संख्या 83 रकबा 5.5 बीघा का आवंटन गुप्त तरीके से विपक्षी संख्या 1 को कर दिया गया। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा काश्त आज दिनांक तक नही रहा हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 13 व 14 के कालबेलिया समाज की समाधि 1952 से पहले से मौजुद हैं। आवंटन नियमो के विपरित किये गये आवंटन को कभी भी रद्द किया जा सकता हैं। राजकीय हित को देखते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये विधि विरूद्ध आवंटन को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री आलोक जैन, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित हैं। एडवाईजरी कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जिला कलक्टर की अनुमति से कथित भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटन हेतु आवेदन पत्र मे विपक्षी संख्या 1 द्वारा किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया हैं। वक्त आवंटन विपक्षी भूमिहीन की परिभाषा मे आता था। प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर द्वेषतापूर्वक आवंटन के लगभग 45 वर्ष उपरान्त आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी संख्या 1 से 9 ग्राम जाम्बुड़ा मे निवास करते है एवं विपक्षी संख्या 1 के रिश्तेदार भी है। इस भूमि के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर के यहां भी इनके द्वारा कार्यवाही की गई थी, जो निरस्त हुई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन उपरान्त भूमि को नियमानुसार कृषि योग्य बनाकर उसके चारो ओर वाउण्ड्रीवाल बनाई गई एवं कुआं खोदा है। इस प्रकार आवंटी द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाने

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.27 12:03:40 IST
Reason: SelfAttested

का पूर्णतया प्रयत्न किया गया हैं। जिला कलक्टर की अनुमति से किया गया आवंटन शून्य नही कहा जा सकता है। वर्तमान मे भी विपक्षी संख्या 1 ही उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहा है एवं विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण स्ट्रेन्जर व्यक्ति है एवं इस भूमि से प्रार्थीगण का कोई संबंध नही हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से सव्यय खारिज किया जावें। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये विपक्षी संख्या 1 का वक्त आवंटन राजकीय कर्मचारी होना, आवंटी का भूमिहीन न होना, आवंटन से पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी न होना, आवंटन उपरान्त विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करना, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा हो कालबेलिया समाज की समाधि निर्मित होना, गलत तरीके से विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार दिया जाना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना अवगत कराया एवं विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये विपक्षी संख्या 1 को विधि अनुसार आवंटन होना, आवंटन से पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी होना, आवंटन कमेटी को कोरम पूर्ण होना, आवंटन पश्चात् भूमि काश्त योग्य बनाना एवं विपक्षी संख्या 1 का रेकर्डेड खातेदार हो जाना, आवंटन जिला कलक्टर की अनुमति से होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने बाबत् निवेदन किया एवं अनुरोध किया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14 (4) की कार्यवाही मेन्टेनेबल नही है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः–

- आर.बी.जे. 2015(22) पृष्ठ 667
- आर.बी.जे. 2019(26) पृष्ठ 77
- आर.आर.टी. 2018(1) पृष्ठ 299
- डी.एन.जे. 1999 पृष्ठ 509

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, आवंटन पत्रावली आदि का आवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 81, 83 एवं 84 के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का की जांच उपरान्त नियमानुसार उक्त आराजीयात मे से आराजी संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.27 12:03:40 IST
Reason: SelfAttested

83 रकबा 5.5 बीघा भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट मे पाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर उन पर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। आवंटन पत्रावली मे उपलब्ध विपक्षी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर को उप जिलाधीश सलुम्बर के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमे उसके द्वारा स्वयं को राजकीय सेवा मे होकर अध्यापक होना अवगत कराया है। उप जिलाधीश सलुम्बर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर उदयपुर को वास्ते अनुमति अग्रेषित किया है एवं जिला कलक्टर की अनुमति उपरान्त ही विपक्षी संख्या 1 को भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 द्वारा किसी तथ्य को मामले मे नही छुपाया है और न ही कपटपूर्ण तरीके से भूमि का आवंटन कराया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101(3) मे स्पष्ट रूप से वर्णित है कि राज्य सरकार की सेवारत किसी व्यक्ति को बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के भूमि का कोई आवंटन नही किया जायेगा, किन्तु अराजपत्रित अधिकारियों के लिये जिलाधीश की स्वीकृति पर्याप्त होगी। उक्त धारा को विलोपित कर दिया गया है जो दिनांक 26.03.1997 से प्रभावी है। कथित आवंटन 26.03.1997 से पूर्व का होने से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया आवंटन रद्द नही किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही दिये जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही की जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या 1 आवंटी भूमिहीन नही है एवं उसके पास पूर्व से भूमि उपलब्ध है, किन्तु मामले मे यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 मे वर्णित भूमिहीन कृषक की परिभाषा मे विपक्षी संख्या 1 न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया है एवं प्रार्थीगण व्यथित पक्ष भी नही है व विवादित भूमि से उनका कोई सरोकार नही है। आवंटन में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने से खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं। उपरोक्त समग्र तथ्यों पर विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये आवंटन मे कोई त्रुटि परिलक्षित न

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.27 12:03:40 IST
Reason: SelfAttested

होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 83 रकबा 5.5 बीघा भूमि पर विपक्षी संख्या 1 श्री पर्वत सिंह पिता डूंगर सिंह राजपूत के पक्ष मे उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.27 12:03:40 IST
Reason: SelfAttested